विधानसभा/अति–आवश्यक

:: राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ::

क्रमांकः–प.1(1)कार्मिक/14वीं विस/अष्ठम सत्र/2016/2712 दिनांक :– 17.3.17

–: कार्यालय आदेश :–

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांकः प.13(1)नविवि/2016 जयपुर, दिनांक 17.03.2017 के निर्देशानुसार 14वीं विधानसभा अष्ठम्(बजट) सत्र में वर्ष 2017–2018 लिए अनुदान की मांग संख्या 20, (आवास) मांग दिवस दिनांक 21.03.2017 को विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी। राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के **नियम–148 के अनुसार कटौती प्रस्ताव** प्रस्तुत होगें। उक्त कटौती प्रस्तावों के संबंध में वांछित जानकारी दी जानी होगी। दिनांक 20.03.2017 को कटौती प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनके जवाब दिये जाने होगें। दिनांक 21.03.2017 को मांग दिवस होने से कोई सूचना वांछित होने पर उपलब्ध कराई जानी होगी।

अतः राजस्थान में स्थित राजस्थान आवासन मण्डल के समस्त कार्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियो को निर्देशित किया जाता है कि वे **दिनांक 20.03.2017 (सोमवार) को कटौती प्रस्ताव अनुमोदित होने तक एंव दिनांक 21.03.2017(मंगलवार) को विधानसभा स्थगित होने तक कार्यालय में उपस्थित रहेगें।** नियंत्रक अधिकारी अपने स्टॉफ के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेगें, ताकि आवश्यकता होने पर सूचना तुरन्त उपलब्ध कराई जा सके।

VMSharma
17.03.17
(विश्व मोहन शर्मा)
सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियंता–I/II, राज.आ. मण्डल,जयपुर।
2. निजी सचिव–सचिव/वि.स. एंव मु.ले.अ.,राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव–द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार, जयपुर।
4. अति. मुख्य अभियंता–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. मुख्य सम्पदा प्रबन्धक/निदेशक (विधि)/अति.मुख्य नगर नियोजक/उप सचिव/सम्पदा प्रबन्धक (मुख्यालय/भूमि), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. समस्त उप आवासन आयुक्त, वृत.....................राजस्थान आवासन मण्डल.......................।
7. समस्त आवासीय अभियंता, खण्ड......................राजस्थान आवासन मण्डल.........................।
8. समस्त प्रकोष्ठ मुख्यालय................................. राजस्थान आवासन मण्डल.........................।
9. समस्त परियोजना अभियंता–वरिष्ठ, उपखण्ड................... राज. आवासन मण्डल ....।
10. रक्षित पत्रावली।
11. प्रभारी कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उप सचिव